



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 10-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-अप्र-04/2010

दिनांक: अप्रैल 13, 2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 479 एवं 480-अ०प्र०-07/पाकालि/2010-13-अ०प्र०-07/2009, दिनांक 25.02.2010 द्वारा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर नव प्रोन्नत अधोनामित सहायक अभियन्ताओं (जानपद), जो स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान पर कार्यरत हैं, को स्तम्भ-4 में अंकित इकाई को नियमित तैनाती किये जाने हेतु आवंटित किया जाता है।

सभी नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को नवतैनाती स्थान पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-

- क. नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अवर अभियन्ता काल का कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- ख. नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अवर अभियन्ता काल का कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

क्रम सं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं पिता का नाम/ गृह जनपद/जन्मतिथि/ब्रांच/अभिज्ञान संख्या(सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय /स्थान	नियमित तैनाती पर नव आवंटित इकाई
1	2	3	4
1	शाह अफसर हुसैन पुत्र स्व० एस०एम० हुसैन / इलाहाबाद /01.01.51/जानपद/201001	वि०जान०पा०म०, लखनऊ।	जान०पा०-द्वितीय
2	वी०पी० सिंह यदुवंशी पुत्र श्री जी० पी० एस० यदुवंशी/ एटा/07.01.51/जानपद/201002	वि०जान०पा०म०, आगरा।	जान०पा०-प्रथम
3	सुदेश्वर पुत्र श्री आर०बी० राय/ रोहतास/02.01.51/जानपद/201003	वि०जा०पा०म०, इलाहाबाद।	जान०पा०-द्वितीय
4	विजय कुमार पुत्र ओ०पी० वैश/ मुजफ्फरनगर/15.09.50/जानपद /201004	वि०जा०पा०ख०, मुरादाबाद।	जान०पा०-प्रथम

1. सक्षम अधिकारी तैनाती करते समय स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 2.01 के अनुसार गृह जनपद, जनपद तथा एक क्षेत्र में अधिकतम कमशः 06 वर्ष तथा 10 वर्ष के प्रतिबन्ध के अधीन तैनाती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपरोक्त सभी प्रोन्नत सहायक अभियन्ता मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले लगभग 06 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

अपर प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 10(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जानपद)पारेषण-प्रथम, उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद)पारेषण-द्वितीय, उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. पुलिस अपर महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
8. विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप सचिव (गोपन)/अनुसचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, अधिशासी प्रबन्ध-03/07, उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी०बी०श्रीवास्तव)

उप सचिव